राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 874वी बैठक दिनांक 06.03.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 874वी बैठक दिनांक 06.03.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमामाहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/888/24	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान एवं मुरम	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	P2/932/24	1(a)	विदिशा	फर्सी पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
3.	P2/928/24	1(a)	सिवनी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	P2/949/24	1(a)	अशोकनगर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	P2/911/24	1(a)	बालाघाट	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	P2/963/24	1(a)	सिवनी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	P2/935/24	1(a)	सिवनी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	P2/953/24	1(a)	जबलपुर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	P2/606/24	1(a)	मंडला	डोलोमाईट खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	P2/918/24	1(a)	सिवनी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
11.	P2/914/24	1(a)	धार	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12.	P2/989/24	1(a)	इन्दौर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
13.	P2/964/24	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
14.	P2/985/24	1(a)	रीवा	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
15.	P2/1003/24	1(a)	छतरपुर	ग्रेनाईट खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

1. **Case No P2/888/24**: Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.90 ha. for production capacity of Stone 22735 cum per annum &Murrum-4500 cum per annum at Khasra No. 77/3, 77/11, 77/16, 77/17, 77/18in Village -Piparia Tehsil - Bhainsdehi, District - Betul (M.P.) by Shri Raghvendra Singh Kiledar, Director, Rajendra Singh Kiledar Constructions Private Limited, Bazar Chowk Betul, Bhaisdehi, Betul (M.P.) – 460220.

   राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 761 वी बैठक दिनांक 30.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

   प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

   पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

   यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

   इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

   अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 874वी बैठक दिनांक 06.03.2025 का कार्यवाही विवरण

2. **Case No. P2/932/24**: Prior Environment Clearance for Flag Stone in an area of 1.90 ha. for production capacity of Flag Stone – 1800 m^3/Year at Khasra No. 153 Village - Lehadra, Tehsil - Basoda, District - Vidisha (M.P.) by Shri Sanjay Jain, Lessee, R/o Station Road, Ganj Basoda, District - Vidisha, M.P – 464221.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

3. **Case No. P2/928/24:** Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. for production capacity of 97,968 cum per annum at Khasra No. 329/2, 355/1, 355/4 in Village BichhuaRyt, Tehsil- Keolari, District - Seoni (M.P.) by Shri Santkumar Choudhary, Owner, R/o- Bus Stand Keolari , Tehsil-Keolari, District-Seoni (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

4. **Case No. P2/949/24**: Prior Environment Clearance for Bansara Stone Quarry an Area of 1.80 ha. for production capacity of Stone (Gitti) - 10,800 M^3/Year atKhasra No. - 36 at Village-Bansara, Tehsil– Shadora, District- Ashoknagar (M.P.) by Shri Sanchit Sharma, Lessee, ward no.- 02, Soni Colony,near Jain Mandir, Ashoknagar,Guna, (M.P.) – 473331.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

5. **Case No. P2/911/24**: Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.0 ha. for production capacity of 2,998 cum per annum at Khasra No. 516 Part at Village- Akola, Tehsil-Kirnapur, District- Balaghat (M.P.) by Shri Lokeshwar Ajit, Owner, SonpuriPost - Kiranpur, Tehsil - Kirnapur, Sonpuri,Balaghat, Madhya Pradesh – 481115.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

6. **Case No. P2/963/24:** Shri Thallu Choudhary, Owner, R/o-Bus Stand Kevlari, Tehsil- Kevlari, District- Seoni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.64 ha. (13,680 cum per annum) (Khasra No. 354) Village Sunjhiri, Tehsil- Keolari, District Seoni, (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रक्रिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

7. **Case No. P2/935/24:** Anju Choudhary, Owner, R/o-Near Bus Stand Keolari, Tehsil- Keolari, District-Seoni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.10 ha. (45,534 cum per annum) (Khasra No. 175, 182, 184 & 181, 81) Village- Sunjhiri, Tehsil- Keolari, District- Seoni (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

8. **Case No. P2/953/24:** Shri Nitin Barsainya, Director, M/s Gour Road Tar Coat Private Limited, Plot No-2358/6, Sharda Chouk, Nagpur Road, Near Takshila Engineering College, Jabalpur, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 14.8 ha. (14,472 cum per annum) (Khasra No. 68,76 Part) Village- Dhadhra, Tehsil- Jabalpur, District- Jabalpur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

9. **Case No. P2/606/24** Shri Nirmal Chand Jain, Partner, M/s Mahavir Minerals, Behind Mahaveer Lake view Society, Bandha Talab, Janpara Durg (M.P.) Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 2.83 ha. (Dolomite- 34399 TPA & Overburden-6011 cum per annum) (Khasra No. 2.83) Village – Bhatiya Tola, Tehsil – Nainpur, Mandla District (MP).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 762 वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रक्रिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

10. **Case No. P2/918/24:** Shri Sanjay Maloo, Authorized Person, 27,i Ishwar complex, C.V rahman ward Barapatthar, Seoni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.3 ha. (Stone-38,220 cum per annum & M Sand-22,295 cum per annum) (Khasra No. 32) Village KUKLAH Tehsil Seoni District Seoni (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 763 वी बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

11. **Case No. P2/914/24** Shri AMZAD KHAN, Lessee, 7/60 Patel Nagar Ward No. 7 Pithampur Tehsil Pithampur District Dhar (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone Gitti - 17459 cum per annum) (Khasra No. 642) Village – Khandwa, Tehsil – Pithampur, Dhar (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 763 वी बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 874वी बैठक दिनांक 06.03.2025 का कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

12. **Case No. P2/989/24** Shri GHANSHYAM, R/o-Pigdumber, Mhow Indore, DistrictIndore, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.10 ha. (Stone – 5000 m3/year) (Khasra No. 125/1/3) Village Rangwasa, Tehsil Depalpur, District Indore (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

13. **Case No. P2/964/24** Shri Shyam Sharma. GANGA MAI SANTAR MURAR – GWALIOR, Distt. – Gwalior (M.P.) 474001, Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Mine for Making Gitti Through Crusher at Khasra No.– 37,17/2] an Area - 1.00 ha., at Village - Bilaua, Tehsil - Dabra, District- Gwalior (M.P.). with Production: Stone - 3,990 M3/ Year.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

14. **Case No. P2/985/24** Shri SANJEEV MISHRA. Mine Owner, Gandhi Nagar, Near Dainik Jagaran Press, Urrahat, Huzur, Rewa (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.20 ha. (8526 cum per annum) (Khasra No. 144/4 & 146/2) Village -Jonhi, Tehsil- Huzur , District- Rewa (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रक्रिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

15. **Case No. P2/1003/24** Shri Mukesh Jain. Lessee, M/S GRANITE INDIA, 43 Jawahar Road District Chhatarpur (M. P.) Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 4.00 ha. (3000 cum per annum) (Khasra No. 2794, 2599/1/1K) Village Malhara Tehsil Maharajpur District Chhatarpur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रक्रिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष